सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाई अड्डा एवं एअर कार्गो आयुक्तालय/
AIR PORT & AIR CARGO COMMISSIONERATE
देवनहल्ली,बेंगलूरु-560 300 / DEVENAHALLI, BANGALORE – 560 300.
Email ID: cusaccblr.tech@gov.in
Phone No.080-22001422
Fax No.080-22001448

DIN-20261072MP0000DC3DC4 **दिनांक/Dated: As per E-signed**

लोक सूचना सं/ PUBLIC NOTICE NO.15/2026-AP & ACC

विषय: **ट्रेड और विभाग के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर** (NAC) **पोर्टल, ताकि जानकारी को प्रभावी ढंग से फैलाया जा सके – reg.**

Subject: National Assessment Centre (NAC) Portal for Trade and department for effective dissemination of information— reg.

****

1. कस्टम्स में 'फेसलेस असेसमेंट' (बिना आमने-सामने की प्रक्रिया वाला मूल्यांकन) लागू करने और अलग-अलग विभागों में कस्टम्स असेसमेंट में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 'नेशनल असेसमेंट सेंटर्स' (NACs) के गठन के संबंध में, 04.09.2020 के सर्कुलर नंबर 40/2020-कस्टम्स का संदर्भ लिया जा रहा है।

Reference is invited to Circular No. 40/2020-Customs dated 04.09.2020 regarding the roll out of faceless assessment in customs and constitution of National Assessment Centres (NACs) for the purpose of ensuring uniformity and consistency in Customs assessment across formations.

2. इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए, एक कॉमन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, यानी 'नेशनल असेसमेंट सेंटर (NAC) पोर्टल' बनाने की योजना बनाई गई है। इसका मकसद ट्रेड और स्टेकहोल्डर्स को NAC के फ़ैसलों, कानूनी मिसालों, CAAR रूलिंग्स, एडवाइज़री और ऑडिट ऑब्ज़र्वेशन की जानकारी आसानी से और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। इससे अलग-अलग कस्टम्स यूनिट्स में असेसमेंट में एकरूपता, निश्चितता और पारदर्शिता आएगी, साथ ही काम करने के तरीकों में अंतर और बेवजह के विवाद कम होंगे और नियमों का पालन करना आसान व स्पष्ट होगा।

In furtherance of this endeavour, a common digital platform, namely the National Assessment Centre (NAC) Portal, has been envisaged to provide trade and stakeholders with transparent and readily accessible source of NAC decisions, legal precedents, CAAR rulings, Advisories and audit observations promoting uniformity, certainty and transparency in assessment across Customs formations, enhancing predictability and informed compliance, while reducing divergent practices and avoidable disputes.

3. इसी के अनुसार, NAC पोर्टल को विकसित किया गया है और यह naccustoms.gov.in पर उपलब्ध है, जिससे व्यापारी और अन्य संबंधित पक्ष सीधे पोर्टल पर ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल में कीवर्ड-आधारित सर्च सुविधा भी है, जिससे यूज़र आसानी से संबंधित दस्तावेज़ और संदर्भ सामग्री खोज और डाउनलोड कर सकते हैं। NAC पोर्टल को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध किसी भी सुरक्षित वेब ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है।

Accordingly, the NAC Portal has been developed and is accessible at naccustoms.gov.in, enabling trade and other stakeholders to directly access relevant information on the Portal. The Portal also provides a keyword-based search functionality, enabling users to readily locate and download relevant documents and reference material. The NAC Portal may be accessed through any secure web browser available in the public domain.

4. यह पोर्टल, अन्य बातों के अलावा, इनसे जुड़ी जानकारी देता है:

The Portal, inter alia, provides for information related to:

(i) ऑडिट आपत्तियां, CAAR के फैसले, कानूनी निर्णय।

(i) Audit Objections, CAAR Rulings, Legal Decisions.

(ii) NACs द्वारा सुलझाए गए/उठाए गए मुद्दे और ऐसे मुद्दे जिन पर पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत; है;

(ii) Issues resolved/taken up by NACs and issues requiring policy intervention;

(iii) वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित मुद्दे;

(iii) Issues relating to classification, valuation and other assessment-related matters;

(iv) NAC बैठकों का विवरण (मिनट्स), सलाह, अलर्ट, सर्कुलर/सार्वजनिक सूचनाएं;

(iv) Minutes of NAC meetings, advisories, alerts, circulars/Public Notices;

(v) ज़ोन-वार CCFC और PTFC से जुड़ी जानकारी, जिसमें बैठकों का विवरण और उनमें चर्चा किए गए मुद्दे शामिल हैं; और

(v) Zone-wise CCFC and PTFC related information, including Minutes of Meetings and issues deliberated therein; and

(vi) मूल्यांकन और व्यापार को आसान बनाने से जुड़ी अन्य ज़रूरी जानकारी/संदर्भ।

(vi) other relevant assessment and trade-facilitation related information/references.

5. एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी जानकारी मिलने से इंपोर्टर्स, कस्टम्स ब्रोकर्स और दूसरे संबंधित लोगों को क्लासिफ़िकेशन, वैल्यूएशन और असेसमेंट से जुड़े मामलों पर ज़रूरी फ़ैसले, स्पष्टीकरण और चर्चाओं तक पहुँचने में आसानी होगी। इससे नियमों का बेहतर पालन होगा, अलग-अलग तरह की व्याख्याओं और तौर-तरीकों से जुड़ी अनावश्यक उलझनें कम होंगी और व्यापार में ज़्यादा पारदर्शिता और निश्चितता आएगी। साथ ही, असेसमेंट से जुड़ी जानकारी का एक कॉमन डेटाबेस अलग-अलग जगहों पर तैनात कस्टम्स अधिकारियों को सही जानकारी के आधार पर एक जैसे फ़ैसले लेने में मदद करेगा, जिससे NAC सिस्टम और मज़बूत होगा और व्यापार में आसानी होगी।

Availability of such information through a common platform would facilitate importers, Customs Brokers and other stakeholders in accessing relevant decisions, clarifications and deliberations concerning classification, valuation and other assessment-related matters. This would promote better compliance, reduce avoidable divergent interpretations and practices, and provide greater transparency and certainty to trade. At the

same time, a common repository of assessment-related information would assist Customs officers across formations in taking informed and consistent decisions, thereby further strengthening the NAC mechanism and facilitating trade.

6. NAC **पोर्टल का यूज़र मैनुअल** icegate.gov.in **पर अपलोड किया गया है।**
The User Manual for the NAC Portal is uploaded on icegate.gov.in.

7. इसे लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई या समस्या को इस कार्यालय के ध्यान में लाया जा सकता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उचित अधिकारी के साथ इस मामले पर कार्रवाई की जा सके।
Any difficulty or issue arising in implementation may be brought to the notice of this office for taking up the matter with the appropriate authority, wherever necessary.

Digitally signed by
Sucheta Sreejesh
Date: 12-10-2026
16:40:01

(आयुक्त सीमा शुल्क / COMMISSIONER OF CUSTOMS**)**
एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो आयुक्तालय / AIRPORT & AIR CARGO COMMISSIONERATE
बेंगलुरु सीमा शुल्क / BENGALURU CUSTOMS

प्रतिलिपि / Copy to:

1. **प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलुरु जोन - सूचना हेतु।**
Pr. Chief Commissioner/Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone – for information.
2. **सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलुरु जोन - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।**
All Principal Commissioners/Commissioners of Customs, Bengaluru Zone – for information and necessary action.
3. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया, CDSCO, नई दिल्ली – सूचनार्थ /The Drug Controller General of India, CDSCO, New Delhi – for information.
4. सभी संबंधित अपर / संयुक्त आयुक्त और सहायक / उप आयुक्त, एयरपोर्ट और एयर कार्गो आयुक्तालय, बेंगलुरु– आवश्यक अनुपालन हेतु।
All concerned Additional/Joint Commissioners and Assistant/Deputy Commissioners, Airport & Air Cargo Commissionerate, Bengaluru – for necessary compliance.
5. **सभी संबंधित कस्टम्स ब्रोकर/व्यापार संघ – व्यापक प्रचार एवं अनुपालन हेतु।**
All concerned Customs Brokers/Trade Associations – for wide publicity and compliance.